

‘एकमुश्त समाधान योजना’ (ओटीएस) का शुभारंभ हुआ

चर्चा में क्यों?

8 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉर्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ किया। यह योजना 31 दिसंबर, 2023 तक तीन चरणों में लागू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के लिये पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र नवासी मीरा को छूट का लाभ देकर बजिली बलि सौंपा।
- ‘एकमुश्त समाधान योजना’ के तहत राज्य सरकार ने बजिली चोरी करते पकड़े गए लोगों को सहूलियत दी है। उनके बलि पर ब्याज व जुर्माने में 65 फीसदी की छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ता महज 35 फीसदी जुर्माना भर कर कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं।
- इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर तक, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा।
- इस योजना के तहत 50 से 100 फीसदी तक छूट मिलेगी। यह शत प्रतिशत छूट एक कलिवोट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी।
- बजिली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा।
- योजना में एक कलिवोट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ कश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिये गये हैं।
 - 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन कश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह कश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
 - एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन कश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा छह कश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट,
 - 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन कश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा छह कश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- तीन कलिवोट भार तक के वाणज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा तीन कश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
- तीन कलिवोट से अधिक के भार वाले वाणज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा तीन कश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- नज्दी वाणज्यिक संस्थानों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन कश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
- नज्दी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च, 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर, 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी।



//

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/one-time-settlement-scheme-ots>

